न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 116/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 प्रेमसुखदान पुत्र आइदान 2 कानसिंह पुत्र विहारीदान जातियान चारण निवासीगण झोरडा तहसील व जिला नागौर।		1 विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर। 2 पंचायत समिति नागौर जरिये विकास अधिकारी। 3 जयकरण पुत्र मूलदान जाति चारण 4 रामसिंह पुत्र शेषकरणदान जाति चारण। 5 आबडदान पुत्र जयकरण जाति चारण निवासीगण झोरडा हाल निवासी डीडवना रोड नागौर। 6 ग्राम पंचायत चाउ (झोरडा), पंचायत समिति नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री अनिल गौड अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, से 5 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 19.12.2024

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर द्वारा आदेश क्रमांक प. सना/2017–18/6180 दिनांक 15.12.17 से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.12.17 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 27.12.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का ग्राम पंचायत झोरडा को बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने बाबत दिनांक 28.07.22 को पेश किया, जिसको बाद सुनवाई ग्राम पंचायत चाउ (झोरडा) को बतौर अप्रार्थी संख्या 6 प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 03 से 05 की ओर से श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 तथा 06 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में आम सूचना नोटिस की फोटोप्रति, जांच रिपोर्ट दिनांक 27.11.17, मौका रिपोर्ट दिनांक 27.11.17 की फोटोप्रति, विकास अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत चाउ के पत्र दिनांक 14.12.17 की फोटोप्रति, विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर के आदेश दिनांक 15.12.17 की फोटोप्रति, माननीय जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.11.17 की फोटोप्रति, विकास अधिकारी नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.17 की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के फर्दअहकाम दिनांक 15.12.17 से 23.08.18 तक की फोटोप्रति, सिविल न्यायाधीश (क.ख.) में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, सिविल न्यायाधीश नागौर में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 05 ने न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के फर्दअहकाम दिनांक 09.01.18 की फोटोप्रति, अंतिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.12.17 की फोटोप्रति, चार्जशीट दिनांक 22.12.17 की फोटोप्रति, एसएचओ श्रीबालाजी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर के फर्दअहकाम दिनांक 05.11.17 की फोटोप्रति, एसएचओ श्रीबालाजी के पत्र दिनांक 05.11.17 की फोटोप्रति, एसएचओ श्रीबालाजी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.17 की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के फर्दअहकाम दिनांक 15.12.17 से 13.04.18 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 15.12.17 अवैध, अनाधिकृत, विधिविरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

19/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

2(2)– अप्रार्थी संख्या 3 से 5 जिस भूमि पर नींव खुदवाकर चारदीवारी का निर्माण कार्य कर रहे थे वह भूमि कभी भी अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की नहीं रही है। यह वादग्रस्त भूमि गांव झोरडा के चारण समाज की सार्वजनिक गवाड (आम चौक) की तथा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पीढियों से रहती रही है।

2(3)– सार्वजनिक गवाड व सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर नींवे खोदने, चारदीवारी का निर्माण करने वगैरा का कोई अधिकार नहीं है। सार्वजनिक रास्ते व गवाड की एक एक इन्च भूमि का उपयोग गांववासी व प्रार्थीगण पीढियों से करते आ रहे है इसलिए प्रार्थीगण इस मामले में हितबद्व पक्षकार है तथा अप्रार्थीगण की नाजायज व अवैध हरकत से प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित हुए है।

2(4)–विकास अधिकारी ने प्रार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का अवसर दिये बगैर पुनरीक्षणाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(5)– विकास अधिकारी ने गवाड तथा रास्ते की भूमि को बिना किसी मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य के अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 की पुस्तैनी भूमि मानने में कानूनी गलती की है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के मालिकाना हक की होने का कोई दस्तावेजी सबूत अप्रार्थीगण के पास नहीं है, ऐसे दस्तावेज के अभाव में विकास अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की पुस्तैनी मानने में गलती की गई है। विकास अधिकारी को वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के प्रश्न को तय करने या उस पर अपना निष्कर्ष देने का कोई अधिकार नहीं है उसके बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है।

2(6)–निर्माण से पूर्व नियमानुसार स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत की अनुमति ली जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम पंचायत उसी व्यक्ति को निर्माण की स्वीकृति देती है जिसके मालिकाना स्वामित्व की भूमि हो चूंकि वादग्रस्त भूमि कभी भी अप्रार्थीगण के स्वामित्व कब्जे की भूमि नहीं रही थी इसलिए अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत की स्वीकृति बिना अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 को वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने का अधिकार नहीं है।

2(7)– विकास अधिकार के द्वारा गठित कमेटी में गांव झोरडा की वार्ड पंच सीमा थी जिसको इस बात की स्पष्ट जानकारी थी कि वादग्रस्त भूमि चारण समाज की गवाड तथा रास्ते की भूमि है। कमेटी के बाकी दो सदस्य जो गांव झोरडा से बाहर के व्यक्ति है उन्होने कोई मौका नहीं देखा तथा अप्रार्थीगण के प्रभाव में आकर गलत व झूठी रिपोर्ट पेश की। ऐसी झूठी, आधारहीन, मौके पर गये बगैर तथा प्रार्थीगण की गैर मौजूदगी में तैयार की गई एकतरफा रिपोर्ट पर पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित करने में विकास अधिकारी ने कानूनी गलती की गई। एकतरफा रिपोर्ट पर पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित करने में विकास अधिकारी ने कानूनी गलती की है।

2(8)–विकास अधिकारी का यह निष्कर्ष भी गलत निकाला गया है कि अप्रार्थीगण 20 फुट रास्ते की भूमि छोडकर निर्माण करा रहे है इसलिए उन्हे निर्माण कराने का अधिकार है। वास्तविक स्थिति यह है कि दीवार निर्माण के बाद रास्ते की भूमि 10 फुट ही नहीं बचती है। जिस जगह पर निर्माण कराया जा रहा है वह गवाड तथा रास्ते की भूमि होने से अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से पर चारदीवारी बनाने नींवे खोदने, अतिक्रमण करने या अन्य निर्माण करने का अधिकारी नहीं है मगर इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित करने में विकास अधिकारी ने कानूनी गलती की है।

2(9)–विकास अधिकारी ने 14.12.17 को तीन सदस्यों की हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये थे। तीन सदस्यों की हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले ही रिपोर्ट का इन्तजार किये बगैर ही विकास अधिकारी ने 15.12.17 को अप्रार्थीगण से मिलावट कर व उनके प्रभाव में आकर पुनरीक्षणाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे स्पष्ट है कि विकास अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं की इसलिए भी पुनरीक्षणाधीन आदेश खारिज व रद्द किये जाने योग्य है।

2(10)–मौका रिपोर्ट से पहले प्रार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया। न प्रार्थीगण की मौजूदगी में मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट एक ही दिन 27.11.17 को दो बार तैयार की गई है। एक रिपोर्ट पर छोटू के हस्ताक्षर किये हुए है तथा दूसरे हस्ताक्षर पढने लायक नहीं है तथा इस हस्ताक्षर के नीचे 05.12.17 तारीख लगाई हुई है यानि 27.11.17 को इस आदमी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, इसने 27.11.17 की रिपोर्ट पर 05.12.17 को अपने हस्ताक्षर नहीं हुए थे, इसने 27.11.17 की रिपोर्ट पर 05.12.17 को अपने हस्ताक्षर किये है। सरपंच के हस्ताक्षर नक्शे के एकदम नीचे है तथा इस हस्ताक्षर के बाद नीचे सात आठ पंक्तियां बाद में जोडी गई है जो रिपोर्ट को संदेहास्पद बनाती है। इसी प्रकार 27.11.17 की एक ओर रिपोर्ट पत्रावली पर है,

19/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

इस रिपोर्ट पर कमेटी सदस्य छोटू के हस्ताक्षर नहीं है। इस रिपोर्ट पर नगाराम, मदनसिंह, गणेशनाथ के हस्ताक्षर है जो बाद मे काटे गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट गलत बनाई गई है, इसकी जानकारी होते ही इन लोगो ने अपने हस्ताक्षर काटे है। दोनो ही रिपोर्टों पर कमेटी की तीसरी सदस्य सीमा के हस्ताक्षर नहीं है। एक ही दिन में दो रिपोर्ट क्यों तैयार की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण रिपोर्टों में नहीं है। अप्रार्थीगण को नाजायज फायदा पंहुचाने की गरज से ऐसा किया गया है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 03 से 05 ने अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर, के आदेश दिनांक 13.11.17 द्वारा चारदीवारी कार्य को रोका गया था, तत्पश्चात एक कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण किया गया । मौका निरीक्षण करने पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं पाया गया, जिससे विकास अधिकारी नागौर ने अपने पत्र कमाक 6180 दिनांक 15.12.17 द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.11.17 को प्रत्याहारित (विड्रा) कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पंचायत समिति नागौर द्वारा आदेश क्रमांक प. सना/2017–18/6180 दिनांक 15.12.17, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विकास अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 13.11.17 में ग्राम पंचायत स्तर पर जांच कमेटी के द्वारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था, तत्पश्चात ग्राम पंचायत चाउ ने अपने पत्र दिनांक 27.11.2017 को जांच करना बताया है लेकिन जांच कमेटी मे किन–किन को शामिल किया गया, न तो ऐसी कोई जांच रिपोर्ट में उल्लेख है न ही उक्त जांच रिपोर्ट में उपसरपंच के अलावा किसी के हस्ताक्षर है, न ही उक्त जांच रिपोर्ट में उल्लेखित मौके पर मिले व्यक्तियों के नाम, हस्ताक्षर या वल्दियत है एवं मौका रिपोर्ट पर उपसरंपच के दिनांक 27.11.2017 के हस्ताक्षर है व उसके नीचे अतिक्रमी को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से बाद में नये तथ्य मौका रिपोर्ट मे जोडा जाना प्रतीत होता है, जिसमें नीचे एक व्यक्ति के हस्ताक्षर है, जिनमें तारीख 05.12.17 है। जिससे साफ जाहिर है कि उक्त तथ्य मौके पर दिनांक 27.11.2017 को नहीं लिखे गये है। मौका रिपोर्ट में ऐसा कोई ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संलग्न नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि जांच कमेटी में मौका जांच करने हेतु अमुक व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो, जिससे यह साफ जाहिर है कि मात्र उपसरपंच ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट में केवल खानापूर्ति की है। पंचायत समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.17 में ग्राम पचायत से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने संबंधी उजर लिया था, लेकिन बाद मे भी ग्राम पंचायत से कोई अनापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है, न ही उक्त जायगा अतिक्रमी की पुस्तैनी होना अथवा लिखापढी या पट्टा ही पेश किया है। ऐसे में मौका रिपोर्ट में बगैर किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ/साक्ष्य किये मात्र उल्लेखित करने से यह नहीं माना जा सकता कि यह अतिक्रमी की पुस्तैनी जायगा है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति नागौर के आदेश क्रमांक/पंसना/2017–18/6180 दिनांक 15.12.17 निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/17

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर